न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 77/2023 (RCMS No.2023/91) (90 बी भू–रूपान्तरण)

1. गिर्राज पुत्र मुस्या
2. केदार पुत्र मुस्या

जाति माली निवासी रायसना तहसील नादौती जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपखण्डाधिकारी नादौती जिला करौली।

.....रैस्पो0

अपील विरूद्ध संपरिवर्तन आदेश कमांक राजस्व/ भू–रूपान्तरण / 2023/497 दिनांक 13.3.2023 न्यायालय उपजिला कलक्टर नादौती जिला करौली (राज0) बाबत कृषि भूमि का व्यावसायिक संपरिवर्तन करने के कम में

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

नि र्ण य

दिनांकः– 26.02.2024

उक्त अपील उपजिला कलक्टर नादौती द्वारा जारी किये गये आदेश कमांक राजस्व/ भू–रूपान्तरण/ 2023/497 दिनांक 13.3.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट आवेदक श्री गिर्राज, केदार पुत्र मुस्या, धापा पत्नी मुस्या जाति माली निवासी रायसना ने कृषि भूमि से अकृषि (आद्योगिक) ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र तहत कार्यालय में पेश किया गया था। जिस पर तहसीलदार नादौती द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। इसमें भारत सरकार के राजपत्र संख्या 140 से जारी अधिसूचना पर्यावरण सरंक्षण संशोधन नियम 2022 दिनांक 22 फरवरी 2022 के बिन्दु संख्या 7 का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार" किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिऐ मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईंट भट्टों को स्थापित किया जना चाहिऐ।" तहसीलदार नादौती के पत्रांक 941 दिनांक 01.03.2023 से प्राप्त मौका– निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के आवेदन पत्र में प्रस्तावित खसरा नम्बर 3397/336 रकबा 0.25 में से 0.18 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर , 351 रकबा 0.10 हैक्टेयर में स 0.03 हैक्टेयर भूमि से मौके पर खसरा नम्बर 3391/135, खसरा नम्बर 3395/134 पर संचालित नजदीकी ईंट भट्टा से उक्त प्रस्तावित भूमि की दूरी 120 मीटर होना पाया गया तथा प्रस्तावित भूमि हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने का उल्लेख करते हुए। अपीलान्ट का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण आवेदन पत्र तहत अदालत उपखण्डाधिकारी नादौती द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2023 से भूमि

रूपान्तरण नियमों की पात्रता नहीं रखने के कारण खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2023 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा एक आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बरान 3397/336 रकबा 0.25 है0 में से 0.18 है0, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.40 है0 में से 0.22 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.10 है0 में से 0.03 है0 कुल 0.43 है0 का भूमि रूपान्तरण (औद्योगिक) में करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी नादौती कार्यालय में प्रस्तुत किया था। इस आवेदन पत्र को अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2023 के द्वारा खारिज किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के स्पष्ट अवहेलना है। अपीलाधीन आदेश मृतक धापा के विरूद्ध पारित किया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश नलीटी लिए हुए होने के कारण शून्य प्रभाव लिए हुए है। उपखण्ड अधिकारी नादौती ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में मुख्य आक्षेप यह लगाया है कि अपीलान्ट खसरा नमबर 3397/336, 339, 351 भूमि के पास ही खसरा नम्बर 3391/135, 3395/134 पर संचालित नजदीकी ईंट भट्टा से उक्त प्रस्तावित भूमि की दूरी 120 मीटर होना पाया गया है और भारत के राजपत्र संख्या 140 से जारी अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण संशोधन नियम 2022 दिनांक 22 फरवरी के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उपखण्ड अधिकारी ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु उनके कार्यालय में पत्रावली दिनांक 28.01.2022 को राजपत्र जारी होने की दिनांक 22.02.2022 से पहले प्रस्तुत किया गया था। इसलिए दिनांक 28.01.2022 के आवेदन पत्र पर दिनांक 22.02.2022 को जारी अधिसूचना के प्रावधान भूतलक्षी प्रभावी से लागू नहीं किये जा सकते हैं। उपखण्ड अधिंकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से पत्रांक 499 दिनांक 20.02.2022 से, ग्राम पचांयत रायसना पंचायत समिति नादौती जिला करौली के पत्र कमांक 21–22/240 दिनांक 05.03.2022, सहायक अभियन्ता प0व0स0 नादौती के पत्रांक 1813 दिनांक 16.09.2022, तहसीलदार नादौती जिला करौली द्वारा पत्रांक 652 दिनांक 17.11.2022 से मय मौका पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट तथा खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग करौली के पत्रांक 103 दिनांक 20.12.2022 से अपनी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अनापत्ति प्रेषित कर दी गई थी, परन्तु उपरोक्त समस्त अनापत्तियों को नजरांदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय में भी एक ओर तो भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अपीलान्ट के आवेदन को उचित नहीं माना है और दूसरी ओर प्रस्तावित भूमि हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया है, जो कि परस्पर विरोधाभासी है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

जबकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नक्शे से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 335, 334 व 340 रास्ता है। जिनके सहारे खरा नंबर 3397/336, 339, 351 स्थित हैं। इससे भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी का समर्पण राज्य सरकार के हक में कर दिया है। इसलिए अपीलान्ट को भारी नुकसान हो रहा है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना एकतरफा में पारित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी। दिनांक 01.08.2023 को रैस्पोडेन्ट के कुछ कर्मचारी अपीलान्ट के पास आये और कहा कि उनकी भूमि का औद्योगिक हेतु भूमि रूपान्तरण नहीं हुआ है और अब आराजी से उनको बेदखल करेगें तो अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रथम वार हुई। इस पर अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया है। उक्त नकल दिनांक 02.08.2023 को प्राप्त होने पर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2023 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत भूमि रूपान्तरण के आवेदन को स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद नियमों में वर्णित प्रावधानों के तहत अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन को निर्णित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नादौती के कार्यालय में कृषि भूमि से अकृषि (आद्योगिक) ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में विधिवत जॉच करवाये जाने व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उक्त निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के आवेदन पत्र में प्रस्तावित खसरा नम्बर 3397/336 रकबा 0.25 में से 0.18 हैक्टेयर, 339 रकबा 0.40 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर , 351 रकबा 0.10 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर भूमि से मौके पर खसरा नम्बर 3391/135, खसरा नम्बर 3395/134 पर संचालित नजदीकी ईंट भट्टा से उक्त प्रस्तावित भूमि की दूरी 120 मीटर होना पाया गया है। जबकि भारत सरकार के राजपत्र संख्या 140 से जारी अधिसूचना पर्यावरण सरंक्षण संशोधन नियम 2022 दिनांक 22 फरवरी 2022 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार "किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिऐ मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर ईंट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिऐ।" सरकार की उपरोक्त अधिसूचना जारी की करने की मंशा मूल रूप से पर्यावरण को बचाये रखने की है तब जबकि अवैध ईंट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

26/2/2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भट्टों की संख्या दिन रोज बढती जा रही है ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना को ध्यान में रखा जाकर इस प्रकार बढते हुये ईंट भट्टे जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका अदा करते है अंकुश लगाया जाना वेहद आश्यक है। इसके अलावा संचालित नजदीकी ईंट भट्टा से उक्त प्रस्तावित भूमि की दूरी 120 मीटर होना पाया गया है। इसलिऐ अपीलान्ट का भूमि रूपान्तरण आवेदन तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण नियमानुसार निरस्त किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2023 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय ,संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2023 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 08.08.2023 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.08.2023 को रैस्पोडेन्ट के कर्मचारियों के माध्यम से होने पर अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 02.08.2023 को प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण के आवेदन पत्र के संबंध में चैकलिस्ट प्राप्त की गई व तहसीलदार नादौती से रिपोर्ट प्राप्त की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2023 को पारित किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या 140 से जारी अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण संशोधन

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नियम 2022 दिनांक 22.02.2022 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ईंट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए। तहसीलदार नादौती की ओर से प्राप्त पत्र दिनांक 01.03.2024 के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र में प्रस्तावित खसरा नंबर 3397/336 रकबा 0.25 में से 0.18 है0 339 रकबा 0.40 है0 में से 0.22 है0 351 रकबा 0.10 में से 0.03 है0 भूमि से मौके पर खसरा नंबर 3391/135 खसरा नंबर 3395/134 पर संचालित नजदीकी ईंट भट्टा से उक्त प्रस्तावित भूमि की दूरी 120 मीटर होना पाया गया है तथा प्रस्तावित भूमि हेतु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। इस आधार पर पत्रावली भूमि रूपान्तरण नियमों की पात्रता नहीं रखने के कारण निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय में तहसीलदार नादौती की ओर से प्राप्त पत्र दिनांक 01.03.2023 का उल्लेख किया हुआ है, परन्तु उपखण्ड अधिकारी नादौती के न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय संबंधी जो पत्रावली प्राप्त हुई है उस पत्रावली में उक्त पत्र की कोई प्रति संलग्न नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत, जयपुर विद्युत वितरण निगम, खान एवं भू विज्ञान विभाग करौली की ओर से प्रेषित रिपोर्ट की न तो अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली में प्रति संलग्न है और न ही इनके बारे में अपीलाधीन निर्णय में कोई अभिमत ही दिया गया है। जहां तक भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के बिन्दु संख्या 7 का प्रश्न है तो इसमें उल्लेख किया गया है कि किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ईंट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए। अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख नहीं किया गया कि अपीलान्ट की ओर से आवेदित भूमि के पास कौन सा ईंट भट्टा है एवं कब से संचालित है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये जाने का रिकार्ड भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नादौती को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई रिपोर्ट का विधिवत परीक्षण करने, भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के बाद नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर